क्रम-सं०-102 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी० / एल०
डब्लू / एन०पी०-91 / 2008-10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 2 अप्रैल, 2009

चैत्र 12, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पुलिस) अनुभाग-10

संख्या 210/6-पु०-10-2009-27 (7)/09

लखनऊ, 2 अप्रैल, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-20

साधारण खण्ड अधिनियम,1897(अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित पुलिस अधिनियम,1861(अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा(3) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा(2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल,उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली,2008 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली,2009

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश, उपनिरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली,2009 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम-5 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
5(1). उपनिरीक्षक - पचास प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा।	5(1) उपनिरीक्षक- पचास प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जाएगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
सेवा काल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली,1974 के अनुसार की जायेगी।	सेवाकाल में दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती भी उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की नियमावली,1974 के अनुसार की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी इस नियमावली के अधीन भर्ती करेगा।
(2) निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी और आरक्षियों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा :–	(2) निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करने वाले उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस/ सशस्त्र पुलिस/माउण्टेड पुलिस/ पी0ए0सी0 के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी और आरक्षियों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पचास प्रतिशत पदोन्नति द्वारा:–
(क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो ;	(क) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में तीन वर्ष की सेवा परिवीक्षा अवधि को छोड़कर,पूर्ण कर ली हो,
(ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 40 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।	(ख) भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन 40 वर्ष से अधिक की आयु न हुई हो।
(तीन) निरीक्षक : मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।	(3) निरीक्षक– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षकों में से विभागीय परीक्षा के आधार पर बोर्ड के माध्यम से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिन इस रूप में पांच वर्ष की सेवा,परिवीक्षा अवधि को छोड़कर,पूर्ण कर ली हो,
टिप्पणी:–उप निरीक्षक(अध्यापक) का पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षकों में से सेवा अंतरण के द्वारा भरा जाएगा जिन्होंने पैडागोजी पाठ्यक्रम व समय–समय पर सरकार द्वारा यथा विहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।	टिप्पणी:– उप-निरीक्षक (अध्यापक) का पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप-निरीक्षक में से सेवा अंतरण के द्वारा भरा जाएगा जिन्होंने पैडागोजी पाठ्यक्रम व समय-समय पर सरकार द्वारा यथाविहित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।

नियम–6 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ 2 दिया गया नियम रख दिया जायेगा,अर्थात:–

स्तम्भ–1 विधमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।	6–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य, श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण अधिनियम और समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा(शारीरिक रूप से विकलांग,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपू सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा। यह और उपबंधि किया जाता है कि शारीरिक रूप से विकलां व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह न होंगे।

4—उक्त नियमावली में नीचे स्तंभ एक में दिये गये नियम—9 के स्थान पर स्तम्भ दो में दिया गया नियम रख दिया जाएगा,अर्थात्:— नियम 9 का संशोधन

स्तम्भ—एक विद्यमान नियम	स्तम्भ—दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने :— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।	9— अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायगा जिसने,— (क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (ख) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो, या (ग) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो,या (घ) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या किसी विधि संस्थान से विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो।

5— उक्त नियमावली के स्तम्भ एक में दिये गये नियम—14 के स्थान पर स्तम्भ—दो में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:— नियम 14 संशोधन

स्तम्भ—एक विद्यमान नियम	स्तम्भ—दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
14— नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ, निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेंगी :— (एक) व्यापक परिचालन वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके ; (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार—पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा। (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित कर के।	14— नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम—6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष रिक्तियों की संख्या बोर्ड और सरकार को भी सूचित करेगा। सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जाएंगी:— (एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन जारी करके, (दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा, (तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके, (चार) जनसंचार के किन्हीं अन्य माध्यमों द्वारा।

6— उक्त नियमावली में नियम-15 में स्तम्भ एक में दिये गये खण्ड (क) (ख) (ङ) और (च) के स्थान पर स्तम्भ दो में दिये गये खण्ड क्रमशः रख दिये जायेंगे, अर्थात्:— नियम 15 संशोधन

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(क) आवेदन पत्र	(क) आवेदन पत्र
(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिले के लिए आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के सम्बन्ध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड, अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटित कर सकता है।	(एक) अभ्यर्थी केवल एक जिला के लिए आवेदन पत्र भरेगा। परीक्षा केन्द्र के आवंटन के संबंध में अभ्यर्थी एक से अधिक विकल्प दे सकता है। फिर भी बोर्ड अभ्यर्थी द्वारा इंगित केन्द्र से भिन्न केन्द्र आवंटित कर सकता है।
(दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जाएगी जिसमें शैक्षिक अर्हता, आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक, विषयवार लिखित परीक्षा के लिये न्यूनतम अर्हता अंक, अभ्यास के लिए ओ0एम0आर0पत्रक की प्रति एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश से सम्बन्धित जानकारी होगी।	(दो) आवेदन पत्र के साथ एक पृथक बुकलेट संलग्न की जायेगी। जिसमें शैक्षिक अर्हता,आयु और प्रत्येक श्रेणी के शारीरिक मानक परीक्षण,शारीरिक दक्षता परीक्षण,चिकित्सकीय परीक्षण के लिए न्यूनतम अर्हता मानक,लिखित परीक्षा के लिए विषयवार न्यूनतम अर्हता अंक,अभ्यास के लिए ओ0एम0आर0 पत्रक की प्रति एवं अन्य दिशा निर्देश से संबंधित जानकारी होगी,
(तीन) आवेदन पत्र कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0पत्रक पर होगा,	(तीन) आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 पत्रक पर है,
(चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए आवेदन पत्र में स्थान दिया गया है।	(तीन) आवेदन पत्र कार्बन प्रति सहित ओ0एम0आर0पत्रक पर होगा , (चार) अभ्यर्थियों के बायें और दाहिने दोनों अंगूठे के निशान के लिए आवेदन पत्र में स्थान दिया गया है।
(ख) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाणपत्रों का परीक्षण बुलावा पत्र जारी किये जाने के पूर्व किया जायेगा। यदि कोई प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र में प्रस्तुत किया दर्शाया गया हो किन्तु उसमें संलग्न न पाया गया हो तो अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र निरस्त किया जा सकता है। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन पत्र की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र पात्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर के माध्यम से जारी किये जाएंगे जहां से आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये हों। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ले जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावापत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावापत्र, परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से	(ख) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि शारीरिक मानक परीक्षा के समय प्रमाणपत्रों की प्रतियों का परीक्षण और मिलान मूल प्रमाण पत्र से कर लिया जायेगा। कम्प्यूटर के माध्यम से आवेदन की जांच किये जाने के पश्चात कम्प्यूटरीकृत बुलावा पत्र अभ्यर्थियों को उसी डाकघर/बैंक के माध्यम से जारी किये जायेंगे जहां से आवेदन पत्र क्रय किया गया था/प्रस्तुत किया गया था/बोर्ड गहन विचारोपरांत बुलावा पत्र भेजने के लिए किसी अन्य उपयुक्त साधन का भी उपयोग कर सकता है। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा का दिनांक और समय सहित कोड/नाम/डाक का पता/परीक्षा केन्द्र स्थल का उल्लेख बुलावा पत्र में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए ले जाने हेतु अपेक्षित हों, को बुलावापत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जाएगा। बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावापत्र परीक्षा प्रारम्भ

स्तम्भ–एक विद्यमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदनपत्र का क्रमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा बुलावा-पत्र की दूसरी प्रति जारी की जाएगी।	होने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो अभ्यर्थी हेल्प लाइन से सम्पर्क कर सकते हैं, इस सम्बन्ध में आवेदनपत्र का क्रमिक कोड देना होगा। बोर्ड द्वारा बुलावा-पत्र की दूसरी प्रति जारी की जाएगी।
(ङ.) शारीरिक दक्षता परीक्षा:–	(ङ.) शारीरिक दक्षता परीक्षा:–
खण्ड (घ) के अधीन प्रारम्भिक लिखित परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों से अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता मानक स्टार -1 के स्तर की होगी। बोर्ड को यह अधिकार होगा कि वह उक्त परीक्षा के मानकों, जो किसी भी दशा में स्टार–1 के विहित मानकों से कम नहीं होगा, में परिवर्तन या उच्चीकरण कर सके। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–2 में विहित है।	शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी। पुरुष अभ्यर्थियों से 10 किलोमीटर की दौड 35 मिनट में पूरी करने की अपेक्षा की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–2 में विहित है।
(ज) समूह परिसंवाद	(ज़) समूह परिसंवाद
नियम 15 (ख) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह–परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जिसके लिए दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा/समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक 'पैनल' के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती की उपस्थिति में संपादित की जाएगी, जिसमें प्रबंधन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक एवं अपराध–विज्ञानी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा नामित एक पुलिस अपर महानिदेशक समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह–परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। इन अंकों को बोर्ड की वेबसाइट में भी अपलोडेड किया जाएगा।	नियम 15 (ख) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जिसके लिए दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया बोर्ड के अध्यक्ष या पुलिस महानिदेशक(उत्तर प्रदेश)द्वारा नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा एक पैनल के परिवेक्षण सम्पादित की जायेगी,जिसमें प्रबंध विशेषज्ञ,मनोविश्लेषक एवं अपराध विज्ञानी सम्मिलित होगें। उक्त समूह परिसंवाद में,पुलिस वाद विश्लेषण परिचर्चा के लिये प्रस्तुत किया जाएगा और सम्पूर्ण समूह–परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अंतर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतीकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। इन अंकों को बोर्ड की वेबसाइट में भी अपलोडेड किया जाएगा।
टिप्पणी 1 – समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।	टिप्पणी 1 – समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।
टिप्पणी 2 – चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के	

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा–7 के अनुसार किया जाएगा। टिप्पणी–3 लिखित परीक्षा के संचालन की प्रकिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट–3 में विहित है।	टिप्पणी 2 – चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों का नाम निर्देशन समय–समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा–7 के अनुसार किया जाएगा। टिप्पणी–3 लिखित परीक्षा के संचालन की प्रकिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट 3 में विहित है।

नियम–16 का संशोधन

7–उक्त नियमावली में, नियम 16 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये खण्ड (ग) तथा (ङ) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) सेवा अभिलेख खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे/सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये अधिकतम 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिये 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 40 अंक जिसमें से 30 अंको के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा 10 अंको के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। इस प्रकार यथोक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं की किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत हैं। प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दण्ड के लिये 07 अंक काट लिया जाएगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जाएगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी	(ग) सेवा अभिलेख खण्ड (क) के उप खण्ड (दो) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे/सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये अधिकतम 01 अंक), स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिये 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 30 अंक जिसमें से 20 अंको के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा 10 अंको की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिये 30 अंक होंगे। अधिकतम 10 अंकों के अध्यधीन राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 03 अंक, राज्य स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 02 अंक प्रदान किये जायेंगें तथा नगद पुरस्कार के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेंगें। इस प्रकार उपर्युक्त अधिकतम 100 अंक होंगें। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत हैं। प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये 03 अंक, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्ट और सूक्ष्म दण्ड के लिये 01 अंक काट लिया जाएगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी

स्तम्भ—1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।	किया जाएगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दण्ड दिया गया है जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षों में एक बार भी रोकी गई हो पदोन्नति के लिए पात्र न होगा।
समूह परिसंवाद खण्ड (घ) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह—परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दस अभ्यर्थियों का प्रत्येक पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक पैनल के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उसके नामिती की उपस्थिति में संपादित की जाएगी जिसमें, प्रबंधन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक, अपराध-विज्ञानी, पुलिस अपर महानिदेशक (कार्मिक) और पुलिस अपर महानिदेशक, कानून-व्यवस्था (पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नाम निर्दिष्ट) समाविष्ट होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन से संबंधित कुछ समस्याएं परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह-परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक) अभिरुचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा।	(ग) समूह परिसंवाद नियम-17 (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी,जिसके लिए दस अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया बोर्ड के अध्यक्ष या पुलिस महानिदेशक(उत्तर प्रदेश)द्वारा नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा एक पैनल के परिवेक्षण सम्पादित की जायेगी,जिसमें प्रबंध विशेषज्ञ,मनोविश्लेषक एवं अपराध विज्ञानी सम्मिलित होगें। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद विश्लेषण से संबंधित कुछ समस्याए परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। ये अंक बोर्ड की वेबसाइट में भी लोड किये जायेगें।
टिप्पणी 1 समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।	टिप्पणी–1 समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जायेगी और उसकी एक कम्पैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी।
टिप्पणी–2 चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किया जायेगा।	टिप्पणी–2 चयन समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन समय-समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किया जायेगा।

8-उक्त नियमावली में नियम-17 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे अर्थात् नियम 17 क संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख)(एक) सेवा अभिलेख खंड (क) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये 01अंक),स्नातक एवं ऊपर की अवधि की शैक्षिक अर्हता 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 40 अंक जिसमें से 30 अंको के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिए 30 अंक होंगे। इस प्रकार यथोक्त रूप से अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय इस शर्त पर के अधीन रहते हुये कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत है प्रत्येक वृहददंड के लिये 05 अंक, प्रत्येक लघुदंड के लिये 03 अंक और प्रत्येक सूक्ष्म दंड के लिये 01 अंक काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दंड दिया गया है , जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षो में एक बार भी रोकी गई हो, पदोन्नति के लिये पात्र न होगा। (दो) खण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको को उनके द्वारा खण्ड (ग) के अधीन प्राप्त किये गए अंकों में जोड दिए जाएगें। इस प्रकार प्राप्त अंको के कुल योग के आधार पर चयन सूचित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी।	(ख)(एक) सेवा अभिलेख:– खंड (क) के अधीन चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे। सेवा की कालावधि के लिये अधिकतम 20 अंक होंगे (प्रत्येक वर्ष के लिये 01अंक),स्नातक एवं ऊपर की अवधि की शैक्षिक अर्हता 10 अंक, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये 30 अंक जिसमें से 20 अंको के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक मौलिक प्रशिक्षण के लिये 10 अंक तथा 10 अंको के अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए प्रत्येक गैर मौलिक प्रशिक्षण के लिये 02 अंक और वार्षिक प्रविष्टि के लिए 30 अंक होंगे। अधिकतम 10 अंको के अध्यधीन राष्ट्रीय स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 03 अंक राज्य स्तर के प्रत्येक पदक के लिए 02 अंक, प्रदान किये जायेंगे तथा नगद पुरस्कार के लिए कोई अंक प्रदान नहीं किये जायेगें। इस प्रकार उपर्युक्त अधिकतम 100 अंक होंगे। पुलिस संगठन का प्रशिक्षण निदेशालय इस शर्त पर के अधीन रहते हुये कि कोई प्रशिक्षण जिसकी अवधि एक माह से कम होगी मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रशिक्षण को मौलिक प्रशिक्षण और गैर मौलिक प्रशिक्षण के रूप में अधिसूचित करने के लिये प्राधिकृत है प्रत्येक वृहददंड के लिये 03 अंक, प्रत्येक लघुदंड के लिये 02 अंक और प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि तथा सूक्ष्म दंड के लिये 01 अंक काट लिया जायेगा। सेवा अभिलेखों का परीक्षण इस दृष्टिकोण से भी किया जायेगा कि क्या अभ्यर्थी को कोई ऐसा भी दंड दिया गया है , जो उसे पदोन्नति के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो। कोई अभ्यर्थी जिसकी सत्यनिष्ठा गत पांच वर्षो में एक बार भी रोकी गई हो, पदोन्नति के लिये पात्र न होगा। (दो) उपखण्ड (क) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंको को उनके द्वारा उपनियम (ख) के अधीन प्राप्त किये गए अंकों में जोड दिया जाएगा। (ख) इस प्रकार प्राप्त अंको के कुल योग के आधार पर चयन सूचित अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी।

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) समूह परिसंवाद खण्ड (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। इस प्रयोजनार्थ हर अभ्यर्थियों का पृथक संग्रह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया एक "पैनल" के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष या उनके नामिती की उपस्थिति में संपादित की जाएगी जिसमें प्रबंधन विशेषज्ञ, मनोविश्लेषक, अपराध–विज्ञानी, अपर पुलिस महानिदेशक (कार्मिक) और अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) (पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट) सम्मिलित होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद अध्ययन से संबंधित कुछ समस्याएं परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। टिप्पणी–(1) समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक कामपैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। टिप्पणी–(2) चयन समिति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों को नामनिर्देशन समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा –7 के अनुसार किया जाएगा।	(ग) समूह परिसंवाद नियम–17 (क) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों से समूह परिसंवाद में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी,जिसके लिए हर अभ्यर्थियों का पृथक समूह बनाया जाएगा। समूह परिसंवाद की प्रक्रिया बोर्ड के अध्यक्ष या पुलिस महानिदेशक(उत्तर प्रदेश)द्वारा नामित एक अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा एक पैनल के परिवेक्षण सम्पादित की जायेगी,जिसमें प्रबंध विशेषज्ञ,मनोविश्लेषक एवं अपराध विज्ञानी सम्मिलित होंगे। उक्त समूह परिसंवाद में किसी पुलिस वाद विश्लेषण से संबंधित कुछ समस्याएं परिचर्चा के लिये प्रस्तुत की जाएंगी और सम्पूर्ण समूह परिसंवाद नियत समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाएगा। समूह परिसंवाद के लिये 20 अंक होंगे और इसके अन्तर्गत अभ्यर्थियों के प्रबंधन कौशल (5 अंक) प्रस्तुतिकरण (5 अंक) अभिरूचि (5 अंक) और व्यक्तित्व (5 अंक) का मूल्यांकन भी सम्मिलित होगा। ये अंक बोर्ड की वेबसाइट में भी लोड किये जायेंगे। टिप्पणी–(1) समूह परिसंवाद की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और उसकी एक कामपैक्ट डिस्क तैयार की जाएगी। टिप्पणी–(2) चयन समिति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिये अधिकारियों को नामनिर्देशन समय समय पर यथा संशोधित अधिनियम की धारा –7 के अनुसार किया जाएगा।

9–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रखा जायेगा अर्थात्– परिशिष्ट-1 का संशोधन।

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट–1	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
पुरुष और महिला अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नलिखित है। पुरुष अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक ऊँचाई: (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 168 से.मी. है	शारीरिक मानक परीक्षा का संचालन 3 सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: 1–परगना मजिस्ट्रेट/उप कलेक्टर 2–चिकित्सक/कोषाधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी 3–पुलिस उपाधीक्षक

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 से.मी. है। सीने का फुलाव: सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति के सीने अनुसूचित जनजाति का फुलाव – 84 से.मी. 82 से.मी. टिप्पणी: न्यूनतम 5 से.मी. का फुलाव अनिवार्य है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक – ऊँचाई: (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 से.मी. है। (2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 से.मी. है। वजन: – 45 से 58 किलोग्राम (3) रटेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचनापट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। (4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/रटेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या प्रति टीम 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किंतु गठित किए गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट या बढ़ सकती है। (5) दल के सदस्य, जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षा के समापन होने के तत्काल बाद परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिमापों का उल्लेख करते हुए माईक पर उद्घोषित किया जाएगा और सूचना पट्ट पर भी	पुरुष अभ्यर्थियों हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक ऊँचाई: (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई 168 से.मी. है। (2) जनजातीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 से.मी. है। सीने का फुलाव: सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति के सीने का फुलाव – 84 से.मी. अनुसूचित जनजाति के सीने का फुलाव 82 से.मी. टिप्पणी: न्यूनतम 5 से.मी. का फुलाव अनिवार्य है महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक – ऊँचाई: (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 से.मी. है। (2) अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 से.मी. है। वजन: – 45 से 58 किलोग्राम (3) रटेडियम/पुलिस लाईन जहां कहीं भी परीक्षण आयोजित हो, वहां परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचनापट्ट (बोर्ड) पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यंत प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाय। (4) सम्पूर्ण राज्य में शारीरिक मानक परीक्षण पुलिस लाईन/रटेडियम में आयोजित किया जाय। एक दिन में अभ्यर्थियों की संख्या प्रति टीम 200 से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह परीक्षा उसी दिन आरम्भ होनी चाहिए किंतु गठित किए गए दलों की संख्या जिले में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर घट या बढ़ सकती है। (5) दल के सदस्य, जो जानबूझ कर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (6) इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम, परीक्षा के समापन होने के तत्काल बाद

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट–1	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
प्रदर्शित किया जाएगा। और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की वेबसाईट पर भी नित्य अपलोड किया जाएगा।	परीक्षावार प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणामों का उल्लेख करते हुए गाईक पर उद्घोषित किया जाएगा और सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और यदि सम्भव हो तो बोर्ड की वेबसाईट पर भी नित्य अपलोड किया जाएगा।
(7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।	(7) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिये भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

परिशिष्ट 10 2 का संशोधन।

10–उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये परिशिष्ट -2 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान परिशिष्ट–1	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट
सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा	सीधी भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा
शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन सदस्यीय दल द्वारा लिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।	शारीरिक दक्षता परीक्षा तीन सदस्यीय दल द्वारा लिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।
1. परगना मजिस्ट्रेट /डिप्टी कलेक्टर,	1. परगना मजिस्ट्रेट /डिप्टी कलेक्टर,
2. चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी,	2. चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी,
3. पुलिस उपाधीक्षक।	3. पुलिस उपाधीक्षक।
(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 100 (एक सौ) इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रक्रिया प्रभावित न हो। इस परीक्षा/परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय संख्या के कारण पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ऐसा कोई विनिश्चिय कर सकता है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकता है।	(क) ऐसे प्रत्येक दल के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में अनधिक 100 (एक सौ) इस प्रकार विनिश्चित की जाएगी जिससे कि परीक्षा की गुणवत्ता और उसकी प्रक्रिया प्रभावित न हो। इस परीक्षा/परीक्षण को सम्पूर्ण राज्य में एक सप्ताह में पूरा किया जाएगा। अभ्यर्थियों की अतिशय संख्या के कारण पुलिस सेवा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ऐसा कोई विनिश्चिय कर सकता है और अपेक्षित समय का अवधारण कर सकता है।
(ख) जहाँ कहीं परीक्षण, परीक्षा संचालन के पूर्व किया जाय, वहाँ प्रत्येक परीक्षा हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टैडियम/पुलिस लाईं। में सूचना पट्टों पर प्रमुखता से किया जाएगा।	(ख) जहाँ कहीं परीक्षण, परीक्षा संचालन के पूर्व किया जाय, वहाँ प्रत्येक परीक्षा हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन स्टैडियम/पुलिस लाईन में सूचना पट्टों पर प्रमुखता से किया जाएगा।
(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहाँ सम्भव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जाएगा।	(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इस अर्हकारी परीक्षा का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और जहाँ सम्भव हो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जाएगा।

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(घ) दल के सदस्य जो जानबूझकर मिथ्या रिपोर्ट देंगे, दाण्डिक कार्यवाहियों के भागी होंगे।	(ध) दल के सदस्य जो जानबूझ मिथ्या रिपोर्ट देंगे, दाण्डिक कार्यवाहियों भागी होंगे।
(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों की सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और बोर्ड की वेब साइट पर नित्य अपलोड की जाएगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जाएगी।	(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिण अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध करा जाएगा। उत्तीर्ण/असफल अभ्यर्थियों क सूची सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और बोर्ड की वेब साइट पर नित्य अपलोड की जाएगी। एक बार 100 अभ्यर्थियों की परीक्षा पूर्ण हो जाने पर सफल अभ्यर्थियों की सूची परगना मजिस्ट्रेट/पुलिस उपाधीक्षक/सहायक पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों से घोषित की जाएगी।
(च) इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम साइक पर घोषित किया जाएगा (जिसमें परीक्षण समाप्त होने के तत्काल पश्चात् परीक्षणकार प्रत्येक अभ्यर्थी का माप उल्लिखित होगा) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि समय हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जाय।	(च) इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम साइक पर घोषित किया जाएगा (जिसमें परीक्षण समाप्त होने के तत्काल पश्चात् परीक्षणकार प्रत्येक अभ्यर्थी का माप उल्लिखित होगा) सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और यदि समय हो तो बोर्ड की वेबसाइट पर नित्य अपलोड किया जाय। (छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा।
(छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाएगा।	
(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा किये जाने पर उन्हें चिकित्सा परीक्षा के लिए तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजा जाएगा।	(ज) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची की घोषणा किये जाने पर उन्हें चिकित्सा परीक्षा के लिए तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के अभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजा जाएगा।

आज्ञा से,
कुँवर फतेह बहादुर,
प्रमुख सचिव।